बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :–DoH/SS/05/2025-पी०वि०एम०-59- /पटना दिनांक: 4/06/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक दो वर्षो हेतु स्वीकृत पान विकास योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 499.375 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक दो वर्षो हेतु स्वीकृत पान विकास योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 499.375 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/87/2024-PPM-33 दिनांक–15.03.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक दो वर्षों में कुल 499.375 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर पान विकास योजना के कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह एक चालू योजना है।

3. उक्त योजना का कार्यान्वियन बिहार के पान उत्पादक 07 (सात) जिलों – नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली एवं सारण में कार्यान्वित किया जायेगा। योजना संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत लाभुक कृषकों का चयन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में पान विकास योजनान्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 100 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर हेतु योजना का लाभ दिया जायेगा। निर्गत कार्यादेश के आलोक में क्षेत्र सत्योपनोपरांत प्रति कृषक न्यूनतम 100 वर्गमीटर के लिए 11,750.00 रूपये से अधिकतम 300 वर्गमीटर के लिए 35,250.00 रूपये सहायतानुदान दिया जायेगा।

6. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय

परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

7. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूची–02 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित कोषागार से BTC Form – 25 पर CFMS की विहित रीति से की जायेगी।

8. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. योजना का कार्यान्वयन पत्र संख्या–1789 दिनांक–05.06.2024 द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

10. वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष – 0101-3301 सब्सिडी।	19084.491	392.19414
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष – 0130-3301 सब्सिडी।	4860.000	99.87500
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-3301 सब्सिडी।	355.509	7.30586
कुल	**24300.000**	**499.37500**
उद्यान निदेशालय का पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। अतः अगले अनुपूरक आगणन के पश्चात उक्त विषयशीर्ष में उपबंधित राशि की प्राप्ति होने के पश्चात ही योजना अन्तर्गत राशि की निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

11. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/87/2024-PPM-33 दिनांक–15.03.2024 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

12. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/87/2024-PPM-33 दिनांक–15.03.2024 द्वारा स्वीकृत योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, कृषि विभाग,

बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या DoH/SS/05/2025 के पृ0सं0–39/टि0 पर दिनांक–03.06.2025 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/SS/05/2025 के पृष्ठ संख्या–41/टि० पर दिनांक–03.06.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–399 दिनांक–03.06.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/05/2025-पी०पी०एस०-59- /पटना दिनांक 4/06/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/05/2025-पी०पी०एस०-59- /पटना दिनांक 4/06/ 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/05/2025-पी०पी०एस०-59- /पटना दिनांक 4/06/ 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/05/2025-पी०पी०एस०-59- /पटना दिनांक-4/06/ 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/05/2025 - पी०पी०एम० - 59 - /पटना दिनांक: 4/06/ 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/05/2025 - पी०पी०एम० - 59 - /पटना दिनांक: 4/06/ 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची – 1

पान विकास योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26

(भौतिक – हेक्टेयर में, वित्तीय – लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	पान क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय
1	औरंगाबाद	5.00	58.75000
2	गया	5.00	58.75000
3	नालंदा	10.00	117.50000
4	नवादा	15.00	176.25000
5	शेखपुरा	1.00	11.75000
6	वैशाली	5.00	58.75000
7	सारण	1.50	17.62500
	कुल	**42.50**	**499.37500**

(चार करोड़ निन्यानवे लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

अनुसूची :– 02

वित्तीय वर्ष 2025–26 का राज्य योजना के तहत पान विकास योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेन्सी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य (78.537%)	अनुसूचित जाति (20.00%)	अनुसूचित जनजाति (1.463%)	कुल योग
1	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	46.14049	11.75000	0.85951	58.75000
2	सहायक निदेशक उद्यान, गया	46.14049	11.75000	0.85951	58.75000
3	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	92.28098	23.50000	1.71902	117.50000
4	सहायक निृदेशक उद्यान, नवादा	138.42146	35.25000	2.57854	176.25000
5	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	9.22809	2.35000	0.17191	11.75000
6	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	46.14049	11.75000	0.85951	58.75000
7	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	13.84214	3.52500	0.25786	17.62500
	कुल	**392.19414**	**99.87500**	**7.30586**	**499.37500**

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना